

28/5  
23

पत्रावली महंगाई राहत कम्प व प्रशासन गाँवों के संग  
अभियान 2023 ग्राम पंचायत आलमस में बेश डूई,  
विपक्षीयता के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए  
जिसे शामिल पत्रावली किये गये। प्रार्थीयता का  
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जिनके पृथक  
से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया।  
पत्रावली फैसल कुमार होकर नम्बर से कम  
हो।

हुक्मीचन्द रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023



## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठारीन अधिकारी- हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 87/23 प्राप्पत्र

1- श्रीमती मंवर कंवर व/0 श्री गवानी सिंह राजपूत निवासी- काशीराम जी की  
स्वेडी तहसील - माण्डल (कॉरा)

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री और सिंह व/0 गवानी सिंह राजपूत निवासी- काशीराम जी की स्वेडी तहसील (कॉरा)  
(सिद्धांकित उपपत्र संख्या)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 23-05-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम काशीराम जी की स्वेडी पटवार हल्का आलमार तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० सिद्धांकित उपपत्र संख्या कुल किता 12 रकबा 4.9195 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतादायिवा के सीमा विन्दु नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19-5-23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम काशीराम जी की स्वेडी पटवार हल्का आलमार तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 148 कुल किता 12 रकबा 4.9195 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा को पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षण आलमार को 3000/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023